न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 92/2025

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –
1. लोकेश खत्री पुत्र जयेश खत्री जाति खत्री निवासी सीएच–4, महावीर नगर, बाड़मेर जिला बाडमेर (मैसर्स हिंगलाज केश्यू इण्डस्ट्रिज, प्लोट नम्बर 51–166, प्रथम फेस, इण्डस्ट्रियल एरिया, बाडमेर का विक्रेता)
2. नंदकिशोर पुत्र देवीचंद खत्री निवासी खत्रीयों का निचला वास, बाडमेर (मैसर्स हिंगलाज केश्यू इण्डस्ट्रिज, प्लोट नम्बर 51–166, प्रथम फेस, इण्डस्ट्रियल एरिया, बाडमेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री जसवंत नोहरा अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : **11.02.2026**

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान **मैसर्स हिंगलाज केश्यू इण्डस्ट्रिज, प्लोट नम्बर 51–166, प्रथम फेस, इण्डस्ट्रियल एरिया, बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **04.09.2025** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **काजू लूज 15** किलोग्राम एक **लोके की** ट्रे में भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 01 किलो **काजू लूज** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2930** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **काजू लूज** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक **17.09.2025** में उक्त खाद्य पदार्थ **काजू लूज** का नमूना को **अवमानक (Sub-**

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

standard) बताया गया जिसकी अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण एक व्यापारी हैं तथा अप्रार्थीगण द्वारा ड्राईफ्रुट को होलसेल व्यापारियों से जरिये बिल के मंगाये जाते हैं। अगर ड्राईफ्रुट में कोई कमी पाई भी जाती है तो बिल के अनुसार मूल विक्रेता को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना था लेकिन उसको पक्षकार बनाये बिना यह गलत तथ्यों पर परिवाद पेश किया है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही को निरस्त कर विड्रोल करवाने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 17.09.2025 में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का पाया गया है। नमूना जांच रिपोर्ट में **Superficial damaged** का मानक स्तर अधिकतम **2.0%** के मुकाबले **4.11%** पाया गया जो मानक स्तर का नहीं है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 46 की उप–धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण एक व्यापारी हैं तथा अप्रार्थीगण द्वारा ड्राईफ्रुट को होलसेल व्यापारियों से जरिये बिल के मंगाये जाते हैं। अगर ड्राईफ्रुट में कोई कमी पाई भी जाती है तो बिल के अनुसार मूल विक्रेता को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना था लेकिन उसको पक्षकार बनाये बिना यह गलत तथ्यों पर परिवाद पेश किया है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही को निरस्त कर विड्रोल करवाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये 25,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक **11.02.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी ए
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मे